न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 88/2019 दायरा दिनांक–01–10–2019

सरोज पुत्री श्री मुरलीधर पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ हाल आबाद ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

– आवेदिका

– :: बनाम ::–

1. मुरलीधर पुत्र श्री निवास
2. जुगलकिशोर पुत्र श्री निवास
3. हरीराम पुत्र श्री दुर्गादत
4. राजू पुत्र श्री दुर्गादत
5. मुरारीलाल पुत्र दुर्गादत
6. बाला पुत्री श्री दुर्गादत

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

7/1. सरोज देवी पत्नी स्वर्गीय श्री अनिल कुमार
7/2. वीर पुत्र स्वर्गीय श्री अनिल कुमार
7/3. खुशी पुत्री स्वर्गीय श्री अनिल कुमार

प्रतिवादी संख्या 7/2 एवं 7/3 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्वर्गीय श्री अनिल कुमार, प्रतिवादी संख्या 7/1 लगायत 7/3 जाति मीणा निवासी खिरोड़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

8. अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड यूनिट, नवलगढ़ जरिये प्रबंधक
9. उप–पंजीयक अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
11. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा बसावा तहील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री हेतराम मील
वकील अनावेदकगण :– श्री अशोक कुमार जांगीड़

<u>प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक 18–10–2022

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है :– वाके ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड तहसील नवलगढ में भूमि खसरा नम्बर 551, 552, 553, 556, 1411 रकबा क्रमशः 1.34, 1.16, 1.85, 2.26, 0.13 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 6.74 हैक्टर अवस्थित है जिसमें प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का भी 1/3 हिस्सा नियत है। अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5 व 6 का [illegible] नियत है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो विरासत से प्राप्त कृषि भूमि है [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 का सजरा खानदान प्रार्थना पत्र के मय [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:33:50 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि [illegible] भूमि है जो जरिये विरासत से प्राप्त हुई भूमि है, राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कर्ताखानदान मुरल[illegible] के नाम चली आ रही है। कानून[illegible] जब विरासत से प्राप्त पैतृक कृषि भूमि में प्रत्येक ईच ईच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा काश्त होता है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एवं बाउण्डस बंटवारा नही हो जाता तब तक प्रत्येक ईच–ईच कृषि भूमि पर प्रत्येक खातेदार काबिज काश्तकार होता है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 विवादित आराजियात पर अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड शामिल में चला आ रहा है।

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

~13

प्रार्थीया का पिता एक शराबी, भांग व गांजा इत्यादि का अत्यधिक सेवन करने से प्रार्थीया के पिता की यादाश्त कमजोर हो गयी तथा वह अपने स्वयं व परिवार के बारे में भी सही तरीके से कभी सोचा भी नही तथा न ही अपनी पुत्री सरोज का कभी लालन, पालन पोषण तथा विवाह का खर्चा तक अप्रार्थी नम्बर 1 ने नही दिया तथा प्रार्थीया की माता गोदावरी देवी को भी कभी भी खाना नही दिया तथा अपने साथ भी नही रखा। प्रार्थीया का विवाह भी प्रार्थीया के चाचा ने किया था तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 शुरू से ही बुरी आदतों में रहा था, जिसका नाजायज फायदा अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा उठाया गया क्योंकि अप्रार्थी संख्या 7 का पिता एक चालाक व चतुर किस्म का व्यक्ति थो जो नवलगढ तहसील में नौकरी व वादिया के पिता के साथ शराब आदि का सेवन किया करता था, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुऐ अप्रार्थी संख्या 7 के पिता ने उक्त कृषि आराजियात में से प्रार्थीया के पिता का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण जरिये फर्जी व नुमायशी विक्रय पत्र से दिनांक 10.02.2014 को अपने पुत्र अनिल कुमार के नाम करवा लिया जो उप पंजीयक नवगढ के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 332 में पृष्ठ संख्या 141 क्रम संख्या 2014000547 पर पंजीकृत किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1368 के पृष्ठ संख्या 414 से 429 पर चस्पा किया गया जो प्रार्थीया के हक, अधिकारों की हद तक निम्न कारणों से प्रभावहीन व शून्य है।

(क) उक्त विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा का आदान प्रदान नही हुआ तथा न ही प्रतिफल दिया गया, बिना प्रतिफल दिया गया, बिना प्रतिफल व बिना कब्जा के किया गया विक्रय पत्र अपने आप में ही प्रभावही व शून्य है तथा सयुंक्त कृषि भूमि में कब्जा दिया जाना संभव ही नही तथाकथित नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर गुपचुप में नामान्तकरण संख्या 2047 दिनांक 20.02.2014 को तस्दीक करवाकर खातेदारी में नाम दर्ज करवाया गया है।

(ख) उक्त कृषि भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एवं बाउण्डस विभाजन नही हुआ इस कारण जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विभाजन नही हो जाता तब तक किया गया विक्रया पत्र अपने आप में ही प्रभावहीन व शून्य है। अप्रार्थी संख्या 7 बाहरी अजनबी, दुसीर जाति का व्यक्ति है जिसके भूमि का बिना बंटवारा कराये पैतृक भूमि को खरीदने का कोई हक अधिकार कतई प्राप्त नही है, अगर नामान्तकरण के आधार पर उसके नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज भी हो गयी हो तो भी अजनबी व्यक्ति को बिना बंटवारा किये कब्जा प्राप्त नही हो सकता है।

(ग) हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सदस्य को जन्म से ही पैतृक कृषि भूमि में अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा अपने अधिकार से ज्यादा किया गया विक्रय पत्र अपने आप में ही प्रभावहीन व शून्य है।

(घ) अप्रार्थी संख्या 1 को कृषि भूमि बेचने की कोई जरूरत नही थी क्योंकि उसे इतनी राशि की कोई आवश्यकता नही थी।

(ड़) उक्त विक्रय पत्र के पेज नम्बर 03 की पंजीकृत मद संख्या 10, 11 व 12 में भी कंटिग की हुई है, इस कारण भी अपने आप में यह साबित होता है कि उक्त विक्रय पत्र बिना प्रतिफल व बिना कब्जा के पंजीकृत करवाया है तथा न ही मौका की जांच भी नही की गई, इस कारण भी उक्त विक्रय पत्र प्रभावहीन व शून्य है।

प्रार्थीया दिनांक 20.06.2015 अपनी कृषि भूमि में काश्त का कार्य कर रही थी तो अप्रार्थी संख्या 1 व 7 आये तथा कहा कि आपकी यहां कोई कृषि भूमि नही है तब प्रार्थीया ने कहा कि यहां तो मेरी व मेरे परविार की कृषि भूमि नही है, तब प्रार्थीया ने कहा कि यहां तो मेरी व मेरे परिवार की कृषि भूमि है, तब प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि उक्त कृष्झि भूमि को मैने जरिये विक्रय पत्र से बेचान कर दी तथा अप्रार्थी संख्या 7 ने कहा कि आपके पिता से मैने उक्त कृषि भूमि आने नाम करवा ली है। तथा उक्त भूमि पर मेरा ही कब्जा है, तब प्रार्थीया ने कहा कि मेरा हिस्सा कहां है, तब अप्रार्थी संख्या 7 आग बबूला हो गया तथा कहा कि आपकी यहां कोई भूमि नहीं है तथा प्रार्थीया को मारने पर उतारू हो गये, परन्तु पड़ौसी खातेदार आने के कारण ... प्रार्थीया धमकी दी कि यदि तुमने उक्त कृषि भूमि को छोड़ा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर ... कृषि भूमि पर कब्जा कर लेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:33:50 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 ... 7 ... उक्त कृषि भूमि मे से हिस्सा हड़पने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने ... सफल हो गये तो प्रार्थीया को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव भी नही है, इस कारण भी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि प्रार्थीया/वादिया का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण मय नौकर, चाकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि , कायम मुकामान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि विवादित आराजियात भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 1.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 552 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 553 रकबा 1.85 हेक्टर,

ए. सी. जे. एम. (क. डि.)
नवलगढ

खसरा नम्बर 556 रकबा 2.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1411 रकबा 0.1300 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 6.74 हैक्टर वाके ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड में सम्पूर्ण हिस्सा में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्से मे से 1/6 हिस्से से प्रार्थीया को बेदखल करने कब्जे काश्त रहन गिरवी विक्रय करने प्रभारित करने, कच्चा पक्का निर्माण करने से बाज रहे।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक नम्बर 1, 7/1 लगायत 7/3 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जागिड़ उपस्थित तथा अनावेदक नम्बर 02 की ओर वकील श्री सज्जन कुमार चाहर उपस्थित आये। अनावेदकगण संख्या 3 लगायत 5, 8 लगायत 11 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनावेदकगण संख्या 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम खिरोड़ के विवादित भूमि खसरा नम्बर 551, 552, 553, 556, 1411 रकबा क्रमशः 1.34, 1.16, 1.85, 2.26, 0.13 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 6.74 हैक्टर की भूमि शामिल में ही चली आ रही जिसका अभी तक बंटवारा नही हुआ है तथा मुरलीधर जो मेरा सगा बड़ा भाई था उसने अपनी पुत्री का भी लालन–पालन पोषण नही यिा तथा अपनी पत्नी को भी अपने साथ नही रखा तथा शुरू से ही बुरी आदतो में रहा था तथाउसे इतनी धनराशि की जरूरत पारिवारिक आवश्यकता के लिए नही थी तथा उसने हिस्से से ज्यादा की कृषि भूमि का बेचान किया है तथा आज तक उक्त कृषि भूमि का बंटवारा नही हुआ है। यदि वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी नम्बर 2 को कोई आपति नही होगी।

अनावेदक नम्बर 1 व 7/1 लगायत 7/3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन निवेदन किया कि पैरा संख्या 2 मं दर्ज भूमि खसरा नम्बर 551, 552, 553, 556, 1411 रकबा क्रमशः 1. 34, 1.16, 1.85, 2.26, 0.13 हैक्टर वाके ग्राम खिरोड में होना स्वीकार है तथा शेष कथन अस्वीकार है। पैरा नम्बर 03 में दर्ज वंशावली गलत व अपूर्ण दर्ज की है तथा स्वर्गीय लक्ष्मण फौत हो चुका है, उसकी पत्नी मीरा देवी को कही नही दर्ज किया है और न ही उसको अपने वाद/प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। सम्पूर्ण वंशावली अस्पष्ट है जिससे कही भी दर्शित नही होता है कि कौन फौत हो गया तथा किसका कौन वारीस है।

वादग्रस्त भूमि में अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1/3 था आवेदिका स्वयं रिकार्ड अनावेदक संख्या 1 का हिस्सा 1/3 था। आवेदिका स्वयं राजस्व रिकार्ड अनावेदक संख्या 1 के नाम मानती है। जबकि वादग्रस्त भूमि में किसका कितन हिस्सा है और मोके पर किस प्रकार से काबिज काश्त है, कहीं अंकित नही किया है। आवेदिका ने यह भी इस पैरा में गलत अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित भूमि अकेले मुरलीधर के नाम दर्ज रही हो। वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी आवेदिका का कब्जा काश्त रहाह है तथा न ही आवेदिका का वादग्रस्त भूमि से कोई ताल्लुक है। आवेदिका की शादी करने के पश्चात आवेदिका हमेशा से ही अपने पति के साथ नरोदड़ा में रही है और अपने पति की भूमि पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्सा पर पहले अनावेदक संख्या 1 का कब्जा काश्त था, बाद क्रय दिनांक 10.02.2014 के अनावेदक संख्या 7 काबिज काश्त है। आवेदिका ने महज जवाब देहन्दागण को हैरान व परेशान करने हेतु यह मनगढ़त व झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारीज होने योग्य है।

आवेदिका का यह कथन भी गलत व आधारहीन है कि सरोज व गोदावरी देवी का पालन पोषण नही किया हो जबकि अगर अनावेदक नम्बर 1 ने सरोज देवी व पत्नी गोदावरी देवी को साथ नही रखा उसका पालन पोषण नही किया। आवेदिका यह कथन बिल्कुल गलत व बेबुनियाद है कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा का आदान–प्रदान नही हुआ है और प्रतिफल न दिया गया है। जबकि अनावेदक संख्या 1 ने बाकायदा प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर अनावेदक संख्या 7 को कब्जा सौंपा है तथा बाद खरीद अनावेदक संख्या 7 ने अपनी खरीदशुदा खातेदारी काश्त की भूमि के चारो और पुख्ता तारबन्दी कर सड़क पर लोहे का गेट चढ़ा रखा है और आबाद है इसलिए आवेदिका द्वारा इस पैरा में दर्ज कथन कोई महत्व नही [illegible] और न ही आवेदिका किसी प्रकार से उक्त विक्रय–पत्र व नामान्तरण संख्या 2047 दिनांक [illegible]0.02[illegible] को चुनौति देने का अधिकार रखती है।

आवेदिका न तो खातेदार है [illegible] तक अधिकार है, आवेदिका का न कब्जा काश्त है आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र [illegible] वादग्रस्त भूमि में आज तक हुये विक्रय पत्रों को या उक्त क्रेतागण जो अजनबी है, उनके बारे [illegible] कोई कथन किया है यानिकि उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 8 को विक्रय का कब्जा दिया गया है। उसी प्रकार अनावेदक संख्या 7 को भी कब्जा सुपुर्द किया गया है। आवेदिका द्वारा इस पैरा में दर्ज कथन कोई महत्व नही रखते है। वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का न तो कभी कब्जा काश्त रहा है तथा न ही कोई वैद्य अधिकार आवेदिका की शादी के वक्त आवेदिका को समुचित दान दहेज देकर उसके सम्पूर्ण दायित्वों की पूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:33:50 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का. ट्रे.)
नवलगढ

अनावेदक संख्या 1 द्वारा की जा चुकी है तथा अनावेदक संख्या 1 अपने परिवार का कर्ता खानदान है और अपना व अपने परिवार का पालन पोषण हेतु अपनी खातेदारी काश्त की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार रखता है। आवेदिका ने न तो अनावेदक संख्या 1 व उसकी पत्नी की सेवा की है तथा न ही कोई पालन पोषण किया है। अनावेदक संख्या 1 को अपने जीवन निर्वाह के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह उक्त अपनी खातेदारी की भूमि का विक्रय–पत्र बनवाकर राशि प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में आवेदिका का कोई कथन महत्व नही रखता है। अनावेदक संख्या 1 को कृषि भूमि बेचने की कोई जरूरत नही थी क्योकि उसे इतनी राशि की कोई आववश्यकता नही थी। जबकि आवेदिका ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नही किया है कि अनावेदक संख्या 1 व उसके परिवार को जीवन निर्वाह केलिए यह साधन था और आवेदिका इतने रूपये हर महिने अमुक बैंक खाते में जमा करवाती रही है या अमुक जरिये से अनावेदक संख्या 1 व उसके परिवार के पास धन आता रहा है जब आवेदिका ने ऐसा किया नही कभी खिरोड आई नही तो उसे क्या पता कि अनावेदक संख्या 1 को रूपयों की आवश्यकता थी या नही। आवेदिका ने महज अनावेदकगण संख्या 1 व 7 को हैरान परेशान कर रूपये ऐठने हेतु गलत व झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो चलने योग्य नही खारीज होने योग्य है। आवेदिका विक्रय पत्र के पेज नम्बर 3 पंजीकृत मद संख्या 10, 11, 12 में कटींग होती होना अंकित किया है कानूनन कोई पंजीकृत दस्तावेज में कटींग होती है तो उसको चुनौति देने का अधिकार केवल मात्र केता या विकेता को होता है और उक्त विकय पत्र को केता व विकेता दोनो स्वीकार करते है। आवेदिका के कहने से उक्त विक्रय पत्र प्रभावहीन या शून्य नही होता है। जब क्रेता व विक्रेता दोनो कब्जा देना व लेना स्वीकार करते है तो आवेदिका का यह कथन भी कोई महत्व नही रखता है कि कब्जा नही दिया गया है। अनावेदक संख्या 1 को अपनी खातेदारी काश्त की भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था तथा बाद खरीद क्रेता अपनी खातेदारी की भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। जवाब देहन्दा संख्या 7 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है तेा उसका विधिक अधिकार है, किसी खातेदार को उसके विधिक अधिकार का उपयोग–उपभोग करने से नही रोका जा सकता है। अनावेदक संख्या 7 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज नही तथा मोके पर चारो और तारबदी कर सड़क पर लोहे का गेट लगा हुआ है। आवेदिका को यह भी पता नही है कि वादग्रस्त भूमि को कौन–कौन हिस्सेदारी किस प्रकार काश्त करते है। आवेदिका ने यह कही अंकित नही किया है कि वह कहां किस चतुर्थ सीमा या भाग पर काश्त कर रही थी, चूंकि आवेदिका ने कभी काश्त की ही नही। ऐसी स्थिति में आवेदिका को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है। महज प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से काल्पनिक दिनांक वादकारण अंकित किया है।

अनावेदक नम्बर 01 व 7/1 लगायत 7/3 की ओर से जवाब के साथ अतिरोक्तर प्रस्तुत किया किः–

आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि के सभी काश्तकारों को पक्षकार नही बनाया है। स्व0 लक्ष्मण का वादग्रस्त भूमि में 1/18 हिस्सा और स्वर्गीय लक्ष्मण की पत्नी उसकी वारीस है जिसको पक्षकार नही बनाया गया है। इसी प्रकार लोक सेवक के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने के लिए अन्तर्गत धारा 79 सी.पी.सी. के अनुसार राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलक्टर या सचिव राज्य सरकार को पक्षकार आज्ञापक प्रावधान है। उन्हे भी आवेदिका ने पक्षकार नही बनाया। इस प्रकार मौजुदा वाद/प्रार्थना पत्र में मिस जोईन्डर ऑफ पार्टिज का दोष होने के कारण प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है जो प्रथम दृष्टया ही आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज होने योग्य है।

आवेदिका ने प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.02.2014 विक्रय पत्र को चुनौति दी है तथा वह भी यह कहकर कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी नुमाईशी बिना प्रतिफल के और अपने वाद–पत्र की धारा 11 की उप धारा "ख" की अन्तिम पंक्ति में स्पष्ट रूप से निरस्त करने की इस्तदुआ चाही है जबकि कानूनन कोई पंजीकृत दस्तावेज को फर्जी नुमाईशी होने के आधार पर निरस्त करने का केवल सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त है, [illegible] नही है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत [illegible] न्यायालय द्वारा वर्जित है। आवेदिका का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित [illegible] सीपीसी के तहत खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा [illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:33:50 IST
Reason: SelfAttested

जबवा देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष [illegible] सुनी गई। दौराने बहस वकील अनावेदक ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। [illegible] आवेदक ने लिखित बहस कर वर्णित किया कि वादिया/प्रार्थीया के पिता मुरलीधर की पैतृक, हक, हिस्से, अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 551, 552, 553, 556, 1411 रकबा क्रमशः 1.34, 1.16, 1.85, 2.26, 0.13 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 6.74 हैक्टर जो वाके ग्राम खिरोड में अवस्थित रही है, उक्त भूमियों की खातेदारी पूर्व में प्रार्थीया के दादा श्रीनिवास के नाम से दर्ज रही है, जिनके स्वर्गवास के उपरान्त मुरलीधर के

52

कर्ताखानदान के रूप में उक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। उक्त भूमियों में हिन्दु उतराधिकारिकता के आधार पर प्रार्थीया का भी उसके पिता मुरलीधर के 1/3 हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्सा निहित है।

प्रार्थीया का पिता जो कि आदतन शराबी, भांग व गांजा इत्यादि का सेवन करता है, जिसके कारण प्रार्थीया के पिता की यादाश्त कमजोर हो गयी। प्रार्थीया का पिता मुरलीधर के द्वारा कभी भी प्रार्थीया व उसकी माता का भरण पोषण नही किया गया और ना ही प्रार्थीया के विवाह व उसकी माता का भरण पोषण नही किया गया और ना ही प्रार्थीया के विवाह आदि का खर्चा वहन किया है। प्रार्थीया के पिता के आदतन नशा प्रवृति को होने का अनुचित फायदा अप्रार्थी संख्या 07 अनिल कुमार के द्वारा अपने हक में एक विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर पंजीबद्ध करवा लिया गया जो उप-पंजीयक नवलगढ के यहां पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 332 में पृष्ट संख्या 141 कम संख्या 2014000547 पर पंजीकृत किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1368 के पृष्ठ संख्या 414 से 429 पर चस्पा किया गया जो दस्तावेजात प्रथमतः न्यून व शून्य दस्तावेजात की श्रेणी में है। जो वाद के निर्णय के समय साबित हो जावेगा। अप्रार्थी संख्या 07 के द्वारा सर्वप्रथम सुनियोजित तरीके से प्रार्थीया के हक हिस्से का विक्रय पत्र कतई गलत रूप से अपने हक में निष्पादित करवा लिया गया और अब अपने सहयोगी व्यक्तियों के साथ मिलकर उक्त शून्य दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया के कब्जे काश्त हक अधिकार की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के कुप्रयास में है। यदि अप्रार्थी संख्या 07 अपने उक्त कुउद्‌देश्य में सफल हो गया तो प्रार्थीया को असीम क्षति होगी तथा प्रार्थीया के साम्पति एवं काश्तकारी हक, अधिकारो पर कृप्रभाव पडकर साम्पतिक एवं काश्तकार हक, अधिकार न्यून व शून्य हो जावेगे।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के हक में होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के हक में ही है। यदि 07 अपने उक्त कुउद्‌देश्य में सफल हो गया तो प्रार्थीया को असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से किया जाना सम्भव नही होगा इस प्रकार अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया के हक में ही है। इस कारण वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना प्रार्थनीय है। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक निर्णय/दृष्टांत पेश किया।

1– 2018–19 (Supp.) RRT 497

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 विचारण न्यायालय ने वादी/प्रार्थी को बेदखल करने से अप्रार्थी नम्बर 01 को अवरोधित किया–राजस्व अपील प्राधिकारी ने आदेश अपास्त किया–संयुक्त खातेदारी में भूमि दर्ज थी–विभाजन बिना अजनबी क्रेता शामलाती भूमि पर प्रवेश नही कर सकता निर्णित विचाररण न्यायालय ने आदेश पारित करने में कोई अवैधता नही की है रास्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किया।

2– 2018-19 (Supp.) RRT 531

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 –धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा–प्रार्थना पत्र खारिज किया– पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार वाद में निर्णित होगे–वाद के निस्तारण तक सम्पति का संरक्षण न्यायसंगत है–निर्णित मौके पर तथा राजस्व रिकार्ड में पक्षकार यथावत स्थिति बनाये रखेगे।

3- 2019 RBJ 551

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 –धारा 212 जब दावा लम्बित रहते हुये निगरानीकार नम्बर 01 ने भूमि का बेचान निगरानीकार दो के पक्ष में कर दिया तब यह संभावना है, कि भूमि का आगे भी बेचान किया जा सकता है। अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश सही पारित किया गया।

4- R.R.D 1988&\- Rajasthan Tenancy Act; Section 212- Where co- sharer Transfers His share to a stranger, Remaining co- Sharers can obtain an injuction agains such Stanger restraining Him From Taking Posssession 1987 R.R.D 330 & A.L.R 1966 S.C. 470 relied upon

5- Rajasthan Tenancy Act. Section 212- Revision against order of R.A.A disputed land is ancerstral- Disputer is between Father and son- A Hindu son has Right by birh in the ancestral land during life time fo[illegible] suit for declaration and partiton subordinate court has allowed to sale 2/[illegible] the disputed land without partition and declaration origina[illegible] Father Transferred by sale KH. NO 178[illegible]mporary injuction is not passed in respect of land [illegible] to issue temporary injunction against defendant not to sale of tranfer the total disputed [illegible] till decision of the suit order of both the subordinate courts. set aside- Directions issued to the trail court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:33:50 IST
Reason: SelfAttested

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील आवेदक ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को तथा वकील अनावेदकगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुनरावृति की गई। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

ए.सी.ई.एम.(क्र.कै.)
नवलगढ

गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन** :– **दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है** :–

यह निर्विवादित है कि राजस्व ग्राम खिरोड़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 551, 552, 553, 556, 1411 रकबा क्रमशः 1.34, 1.16, 1.85, 2.26, 0.13 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 6.74 हैक्टर अवस्थित है जिसमें प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का भी 1/3 हिस्सा नियत है। अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5 व 6 का 1/18 हिस्सा नियत है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो विरासत से प्राप्त कृषि भूमि है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7/3 का सजरा खानदान प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

वादग्रस्त भूमि में आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 7/3 का रिकार्डेड खातेदार शामिल में है। उक्त समस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की पैतृक भूमि है। उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नही होकर भूमि शामलाती है। आवेदक अधिवक्ता ने उज्र उठाया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि आवेदक व अनावेदकगण की शामलाती हक अधिकारों की भूमि है। वाद विभाजन का है। प्रश्नगत विवादित भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण की शामलाती खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 की धारा 53 के तहत जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता तक तक सहखातेदार की शामलाती भूमि में प्रत्येक ईंच–ईंच पर कब्जा काश्त होता है। वाद विभाजन का है, जिसका निस्तारण साक्ष्य के आधार पर साबित होगा। अतः विवादित भूमि शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में प्रतीत होता।

- **अपूरणीय क्षति** :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में है तो आवेदकगण को अपूरणीय क्षति घटित होती है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड़ 551, 552, 553, 556, 1411 रकबा क्रमशः 1.34, 1.16, 1.85, 2.26, 0.13 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 6.74 हैक्टर के संबंध में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 29.06.2015 को तादावा निर्णय कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:33:50 IST
Reason: SelfAttested